महावीर बनाम गिर्राज प्रसाद वगै0

प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन संख्या : 2015/601(gcms no. 2015/00411)

09.10.2024	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 199/2003 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.12.2005 के विरूद्ध अपीलांट की ओर से न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गई जो अपील कमांक 04/2006 पर दर्ज रजिस्टर की गई। उक्त अपील संख्या 04/2006 न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 19.04.2007 द्वारा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गई। न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 19.04.2007 के विरूद्ध अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र बाबत रेस्टोरेशन अपील प्रस्तुत किया गया जिसे न्यायालय हाजा द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 10/1, 10/2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा शेष रेस्पोडेन्ट की नियमानुसार तामील कराई गई। न्यायालय हाजा की अपील संख्या 04/2006 की पत्रावली तलब की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। दौराने बहस रेस्पोडेन्ट अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहने से विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अपीलांट की एकपक्षीय बहस प्रार्थना पत्र बाबत रेस्टोरेशन पर सुनी गई। प्रार्थीगण अपीलांटगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट नाथू लाल बीमार चले आ रहे थे इस कारण वे दिनांक 19.04.2007 को माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके और ना ही अपने अधिवक्ता को सूचना दे सके इस कारण उक्त अपील अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज फरमा दी गई। नाथूलाल अक्सर बीमार होने के कारण उनको पेशी का ध्यान नही रहा ओर न उन्होने उक्त अपील के जेरकार होने की अपीलांटगण प्रार्थीगण को जानकारी दी। ओर इस मध्य अपीलांट नाथूलाल जी का देहावसान हो गया ओर अपीलांटगण दिनांक 28.07.2015 को अपने गांव बडा खेडा गये तो पटवारी हल्का ने बताया कि तुम्हारे पिता जी का दावा खारिज हो गया है इस पर निर्णय की नकल लेकर अपीलांटगण ने माननीय न्यायालय में अपील पेश की जिस पर दिनांक 20.11.2015 को माननीय न्यायालय में उपस्थित होने पर जानकारी हुई कि अपीलांट नाथूलाल जी ने

निर्णय दिनांक 14.12.2005 के खिलाफ पहले से ही अपील माननीय न्यायालय में पेश हुई थी। जो दिनांक 19.04.2007 को अदम हाजरी मे खारिज हो गई। उक्त अपील के खारिज होने की जानकारी अपीलांट को दिनांक 20.11.2015 से पूर्व नहीं थी और न हुई। दिनांक 20.11.2015 को ही माननीय न्यायालय में नकल आदेश प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 30.11.2015 के नकल प्राप्त हो गई और नकल प्राप्त होने पर रूपयों का इंतजाम कर अविलम्ब यह रेस्टोरेशन प्रार्थना–पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण के अभिभाषक अन्य मुकदमों में व्यस्त होने के कारण माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर न्यायालय में अनुपस्थित नहीं रहा अपितु उक्त कारण से अनुपस्थित रहा है। न्यायहित में अपील पुनः नम्बर पर ली जाकर सुनवाई किया जाना आवश्यक अन्त में प्रार्थीगण अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र रेस्टोरेशन स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत अपील पुनः नम्बर पर लिए जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की भली–भांति जानकारी रही है इसके बावजूद भी प्रार्थी ने जानबूझकर विलम्ब से प्रश्नगत रेस्टोरेशन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में गलत तथ्य अंकित किए है। प्रार्थना–पत्रा प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया है । प्रार्थी अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र में झूठे व मनगढ़न्त तथ्य अंकित किए है अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत रेस्टोरेशन अपील खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत रेस्टोरेशन अपील खारिज किए जाने का निवेदन किया।

हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। इस न्यायालय के द्वारा प्रश्नगत अपील दिनांक 19.04.2007 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की गई जिसको रेस्टोर के लिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से पेश किया गया है। हमारे मत में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जाकर एवं पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर ही न्यायसंगत निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र रेस्टोरेशन अपील स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत अपील पुनः

नम्बर पर लिया जाना उचित प्रतीत होता हैं ।

अतः प्रार्थीगण अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते रेस्टोरेशन अपील स्वीकार किया जाता है। न्यायालय हाजा की अपील संख्या 04/2006 को पुनः नम्बर पर लिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। प्रार्थना–पत्र की पत्रावली मूल अपील की पत्रावली के साथ संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 09.10.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/10/24

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा